शिक्षा मंत्रालय

मांग संख्या 25

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	84013.96	...	84013.96	103673.66	...	103673.66	96969.95	...	96969.95	111549.37	...	111549.37
वसूलियां	*-32172.32*	...	*-32172.32*	*-48800.00*	...	*-48800.00*	*-45000.00*	...	*-45000.00*	*-48100.00*	...	*-48100.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**51841.64**	**...**	**51841.64**	**54873.66**	**...**	**54873.66**	**51969.95**	**...**	**51969.95**	**63449.37**	**...**	**63449.37**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	26.08	...	26.08	30.00	...	30.00	31.69	...	31.69	35.00	...	35.00
2. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2.20	...	2.20	3.00	...	3.00	2.61	...	2.61	3.00	...	3.00
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**28.28**	**...**	**28.28**	**33.00**	**...**	**33.00**	**34.30**	**...**	**34.30**	**38.00**	**...**	**38.00**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
3. शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	0.68	...	0.68	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
4. राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना												
4.01 राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम को सहायता	...	...	...	350.00	...	350.00	284.20	...	284.20	350.00	...	350.00
4.02 सकल बजट सहायता से सहायता	146.00	...	146.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	175.11	...	175.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	*321.11*	...	*321.11*	*350.00*	...	*350.00*	*284.20*	...	*284.20*	*350.00*	...	*350.00*
5. राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना												
5.01 बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम के लिए सहायता	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
5.02 सकल बजट सहायता से सहायता	0.17	...	0.17	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना	*0.17*	...	*0.17*	*1.00*	...	*1.00*	...	...	...	...	...	...
6. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी)	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
7. प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव)	...	...	...	10.00	...	10.00	1.00	...	1.00	3.26	...	3.26
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**321.96**	**...**	**321.96**	**363.50**	**...**	**363.50**	**286.20**	**...**	**286.20**	**358.26**	**...**	**358.26**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8.01 केंद्रीय विद्यालय संगठन को सहायता	...	...	...	6800.00	...	6800.00	6800.00	...	6800.00	7650.00	...	7650.00
8.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता (एनआईएफ)	2000.00	...	2000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.03 माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से सहायता	2100.00	...	2100.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.04 सकल बजटीय सहायता से मदद	2336.00	...	2336.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	*6436.00*	...	*6436.00*	*6800.00*	...	*6800.00*	*6800.00*	...	*6800.00*	*7650.00*	...	*7650.00*
9. नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)												
9.01 नवोदय विद्यालय समिति को सहायता	...	...	...	3800.00	...	3800.00	3740.00	...	3740.00	4115.00	...	4115.00
9.02 सकल बजटीय सहायता से मदद (जीबीएस)	3478.87	...	3478.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	*3478.87*	...	*3478.87*	*3800.00*	...	*3800.00*	*3740.00*	...	*3740.00*	*4115.00*	...	*4115.00*
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	388.42	...	388.42	500.00	...	500.00	452.00	...	452.00	510.00	...	510.00
11. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	69.19	...	69.19	70.00	...	70.00	61.95	...	61.95	62.00	...	62.00
12. राष्ट्रीय बाल भवन	15.48	...	15.48	22.00	...	22.00	19.00	...	19.00	22.00	...	22.00
13. राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) को अंतरण	2000.00	...	2000.00	4800.00	...	4800.00	3000.00	...	3000.00	...	...	...
14. राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	-2000.00	...	-2000.00	-4800.00	...	-4800.00	-3000.00	...	-3000.00	...	...	...
जोड़-स्वायत्त निकाय	**10387.96**	**...**	**10387.96**	**11192.00**	**...**	**11192.00**	**11072.95**	**...**	**11072.95**	**12359.00**	**...**	**12359.00**
अन्य												
15. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण	...	...	...	7000.00	...	7000.00	7000.00	...	7000.00	10100.00	...	10100.00
16. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि	...	...	...	-7000.00	...	-7000.00	-7000.00	...	-7000.00	-10100.00	...	-10100.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**10387.96**	**...**	**10387.96**	**11192.00**	**...**	**11192.00**	**11072.95**	**...**	**11072.95**	**12359.00**	**...**	**12359.00**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन												
17. समग्र शिक्षा												
17.01 समग्र शिक्षा के लिए सहायता	...	...	...	31050.15	...	31050.15	29999.99	...	29999.99	37383.35	...	37383.35
17.02 ईएपी घटक	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
17.03 सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से सहायता	27834.57	...	27834.57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- समग्र शिक्षा	*27834.57*	...	*27834.57*	*31050.16*	...	*31050.16*	*30000.00*	...	*30000.00*	*37383.36*	...	*37383.36*
18. अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा												
18.01 पढ़ना लिखना अभियान	78.16	...	78.16	250.00	...	250.00	2.75	...	2.75	...	...	...
18.02 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	10.49	...	10.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18.03 नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	127.00	...	127.00
जोड़- अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा	*88.65*	...	*88.65*	*250.00*	...	*250.00*	*2.75*	...	*2.75*	*127.00*	...	*127.00*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	**27923.22**	**...**	**27923.22**	**31300.16**	**...**	**31300.16**	**30002.75**	**...**	**30002.75**	**37510.36**	**...**	**37510.36**
राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
19. राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम												
19.01 विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड डे मील कार्यक्रम को सहायता	...	...	...	11500.00	...	11500.00	10233.75	...	10233.75	...	...	...
19.02 सकल बजटीय सहायता से सहायता	12878.15	...	12878.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	*12878.15*	*...*	*12878.15*	*11500.00*	*...*	*11500.00*	*10233.75*	*...*	*10233.75*	*...*	*...*	*...*
20. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10233.75	...	10233.75
21. एस्पायर (परिणामों के सुधार हेतु राज्य शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	600.00	...	600.00
22. प्रतिमान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1800.00	...	1800.00
23. राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी	91.77	...	91.77	485.00	...	485.00	340.00	...	340.00	550.00	...	550.00
24. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को अंतरण	30168.34	...	30168.34	37000.00	...	37000.00	35000.00	...	35000.00	38000.00	...	38000.00
25. प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) से पूरी की गई राशि	-30168.34	...	-30168.34	-37000.00	...	-37000.00	-35000.00	...	-35000.00	-38000.00	...	-38000.00
अल्पसंख्यक विकास अम्ब्रैला कार्यक्रम												
26. मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	214.28	...	214.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**41107.42**	**...**	**41107.42**	**43285.16**	**...**	**43285.16**	**40576.50**	**...**	**40576.50**	**50694.11**	**...**	**50694.11**
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
27. वास्तविक वसूलियां	-3.98	...	-3.98	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***51841.64***	***...***	***51841.64***	***54873.66***	***...***	***54873.66***	***51969.95***	***...***	***51969.95***	***63449.37***	***...***	***63449.37***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामान्य शिक्षा	11041.10	...	11041.10	15127.77	...	15127.77	15157.21	...	15157.21	17735.95	...	17735.95
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	26.04	...	26.04	30.00	...	30.00	31.69	...	31.69	35.00	...	35.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**11067.14**	**...**	**11067.14**	**15157.77**	**...**	**15157.77**	**15188.90**	**...**	**15188.90**	**17770.95**	**...**	**17770.95**
अन्य												
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	4919.77	...	4919.77	4878.92	...	4878.92	5895.37	...	5895.37
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	39950.08	...	39950.08	33480.11	...	33480.11	30161.10	...	30161.10	37929.50	...	37929.50
5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	824.42	...	824.42	1316.01	...	1316.01	1741.03	...	1741.03	1853.55	...	1853.55
जोड़-अन्य	**40774.50**	**...**	**40774.50**	**39715.89**	**...**	**39715.89**	**36781.05**	**...**	**36781.05**	**45678.42**	**...**	**45678.42**
कुल जोड़	**51841.64**	**...**	**51841.64**	**54873.66**	**...**	**54873.66**	**51969.95**	**...**	**51969.95**	**63449.37**	**...**	**63449.37**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	...	...	...	...	495.00	495.00	...	...	...	...	...	...
जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**495.00**	**495.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय:** इसमें विभाग के सचिवालय व्यय का प्रावधान होता है।

2. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता आ रहा है। इस निदेशालय की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों को अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

3. **शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार:** वर्ष 1958 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक , मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर (शिक्षक दिवस) को प्रदान किए जाते हैं।

4. **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जो वर्ष 2008 में आरंभ की गई थी, में कक्षा IX स्तर पर 6000/- रूपये प्रतिवर्ष (500/- रूपये प्रतिमास) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रह सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उनमें कक्षा VIII में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा XII तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 250 करोड़ और रु. 300 करोड़ है ।

5. **राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** वर्ष 2006-07 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे समर्थकारी परिवेश की स्थापना करना है कि स्कूल बीच में छोड़ने की दर को कम किया जा सके और अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों की बालिकाओं का माध्यमिक स्कूलों में नामांकन बढ़ाकर उन्हें वहां बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

6. **ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी):** ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना में शिक्षण और अध्ययन के लिए कक्षा-केंद्रिक डिजिटल पहल का प्रावधान है तथा इसे देश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX से XII के लिए कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

7. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव):** यह योजना अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध/ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों द्वारा चुनिंदा प्रतिभावान छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पहल है।

8. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस):** केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में एक पंजीकृत निकाय के रूप में की गई थी जो केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण तथा उनके प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 1000 करोड़ और रु. 2500 करोड़ है । राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) का प्रावधान संशोधित अनुमान 2021-22 में रु 3000 करोड़ है ।

9. **नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):** आवासीय स्कूलों की स्थापना के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (वर्ष 1992 में यथासंशोधित) के अनुसरण में, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके, 1986 में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) खोलने की एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जेएनवी नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा चलाई जाती है जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत, वर्ष 1986 में की गई थी। एनवीएस योजना में संशोधित अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 2000 करोड़ और रु. 2300 करोड़ है ।

10. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा को अंतिम रूप देने सहित उनकी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए, विशेषकर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने हेतु सलाह तथा सहायता देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

11. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए):** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले हुए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

12. **राष्ट्रीय बाल भवन:** राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी जो शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्षों के आयु समूह के बच्चों विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता हासिल करने की दिशा में अपना योगदान करता आ रहा है।

17. **समग्र शिक्षा:** पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण योजनाओं को समग्र शिक्षा योजना में विलय कर दिया गया है। विलय का आशय विद्यालयी शिक्षा को सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान करना है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 25000 करोड़ और रु. 3750 करोड़ है । बजट अनुमान 2022-23 में, प्राथमिक शिक्षा कोष (पीएसके) और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) का प्रावधान क्रमशः रु 28000 करोड़ और रु. 5000 करोड़ है ।

18.01. **पढ़ना लिखना अभियान:** साक्षर भारत की मौजूदा योजना को पढ़ना लिखना अभियान के रूप में संशोधित किया गया है, जिसके तहत वयस्क शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाना है।

18.02. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** इस योजना के अंतर्गत, गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति, उन स्थानों में जहां 25% से अधिक जनसंख्या उर्दू बोलने वाले समुदाय की है, वहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उन हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में, जो इसकी मांग करते हैं में एक तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

18.03. **नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की 'वयस्क शिक्षा और आजीवन शिक्षा' पर सिफारिशों के साथ संरेखित करके वित्तीय वर्ष 2022-27 के लिए 'नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)' वयस्क शिक्षा की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है।

19. **राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम:** स्कूलों के बच्चों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ावा देने के साथ-साथ उनमें पोषणगत स्तरों को बढ़ाने के उद्देश्य से 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया था । 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देशभर के सभी क्षेत्रों में कक्षा I से VIII तक पढ़ रहे सभी बच्चों को कवर करता है। इस योजना में, संशोधित अनुमान 2021-22 में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) का प्रावधान रु 10000 करोड़ है।

20. **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण):** प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम - पोषण) जिसे पहले स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य पात्र स्कूलों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएसके) योजना में प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) का प्रावधान रु 10000 करोड़ है।

21. **एस्पायर (परिणामों के सुधार हेतु राज्य शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा):** एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट्स (एस्पायर), एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्र प्रायोजित योजना को पांच राज्यों गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड में छह साल की अवधि में 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) की कुल वित्तीय सहायता के साथ लागू करने का प्रस्ताव है।

22. **प्रतिमान:** इस स्कीम का उद्देश्य है उत्कृष्टता के 15000 से अधिक स्कूल तैयार करना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने में मदद करेंगे और समय के साथ उदाहरण और उत्कृष्टता के स्कूलों के रूप में उभरेंगे। वे एनईपी 2020 की दूरदृष्टि के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में एक समान, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करेंगे और विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करेंगे और उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएंगे।

23. **राज्यों के लिए शिक्षण-ज्ञान अर्जन और परिणाम सुदृढ़ीकरण-ईएपी:** राज्यों के लिए शिक्षण – ज्ञान अर्जन और परिणामों का सुदृढ़ीकरण परियोजना का उद्देश्य राज्यों को ऐसी पहल विकसित, कार्यान्वित करने उनका मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने में सहायता पहुंचाना है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा परिणामों और श्रम बाजार परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विद्यालय द्वारा परिवर्तनशील कार्यनीतियों पर कार्य करने से है। परियोजना का समग्र ध्यान और इसके घटक गुणवत्ता आधारित ज्ञान अर्जन परिणामों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

26. **मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना:** इस योजना में मदरसों में गुणवत्ता सुधार लाने की व्यवस्था है ताकि मुस्लिम बच्चे औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त कर सकें।